न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 174/2011 दायर दिनांक 04.07.2011

1 लाडो देवी बेवा लादू
2 महावीर पुत्र लादू
3 रामचन्द्र पुत्र लादू
4 रोहिताश पुत्र लादू
5/1 भानी देवी पत्नी भागीरथ
5/2 राजेश पुत्र भागीरथ
5/3 सुरेंन्द्र पुत्र भागीरथ
5/4 सुभिता देवी पुत्री भागीरथ
5/5 ललिता पुत्र भागीथ
5/6 प्रमोद पुत्र भागीरथ
6/1 श्रवणी देवी पत्नी प्रहलाद
6/2 मुकेश पुत्र प्रहलाद
6/3 किरण पुत्री प्रहलाद
6/4 सुलोचना पुत्री प्रहलाद
6/5 अनिता पुत्री प्रहलाद
6/6 गीता पुत्री प्रहलाद
6/7 तीजा पुत्री प्रहलाद
6/8 शारदा पुत्री प्रहलाद
6/9 सुनिता पुत्री प्रहलाद
7 गिरधारी पुत्र लिछमण
8 सांवरमल पुत्र लिछमण

जाति समस्त अहीर निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. प्रभात पुत्र रामनाथ
2/1 दड़की पत्नी फूलाराम
2/2 ताराचन्द पुत्र फूलाराम
2/3 गुलाबी देवी पुत्री फूलाराम
2/4 रामा देवी पुत्री फूलाराम
2/5 सज्जना पुत्री फूलाराम
2/6 मोरा देवी पुत्री फूलाराम
2/7 कौशल्या पत्नी सरदारा
2/8 अनिता पुत्री सरदारा
2/9 सुभिता पुत्री सरदारा
2/10 उर्मिला पुत्री सरदारा
2/11 अनिल पुत्र सरदारा
3. गोपाल पुत्र रामनाथ
4. बंशी पुत्र नन्दाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ

(43)

5. मूंगा पुत्र नन्दाराम
6. महावीर पुत्र नन्दाराम
7. बोदू पुत्र नन्दाराम
8. भानी पुत्री नन्दाराम (नाज हजफ)
   जाति अहीर निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. वी.के. शर्मा पुत्र जे.पी. शर्मा, सीनियर जनरल मैनेजर (पी एण्ड ए) श्री सीमेन्ट लिमिटेड
   राजि॰ ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति॰9 – श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील प्रति॰ 1 से 7– श्री किशोर कुमार जागिड़

<u>दावा घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88, 188 राज॰काश्त॰अधि॰</u>

निर्णय तिथि 25.04.2022

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम गोठड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर भूप्रबन्धक से पूर्व 648 मी, 648 मी, 649मी., 951 वर्तमान खसरा नम्बर 1124, 1125 रकबा क्रमशः 0.02 व 3.50 हैक्टर कुल तादादी 3.52 हैक्टर अवस्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण के पीढियों से चली आ रही है, पैत्रिक सम्पति है, वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार तथा काबिज है, जो लगातार काश्तकारी में चली आ रही है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली वाद–पत्र के पैरा नं. 2 में दिये अनुसार है जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा बराबर–बराबर है यानि वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है।

नोट :– स्व0 मंगला की खातेदारी की भूमि ग्राम बसावा की सरहद में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी कुशला, सेवाराम, भाना व रामनाथ, लिछमण के नाम से दर्ज थी, मंगला के देहान्त के बाद नामान्तरण दिनांक 05.07.1956 दर्ज किया, जिसका नामान्तरण संख्या 33 है, जो वाद का ही एक भाग है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के ग्राम गोठडा में भी आई, इस प्रकार से उपरोक्त भूमि पैत्रिक है, वादीगण नं0 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादीगण घीसा वगैरह के विरूद्ध वाद घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा अदालत में प्रस्तुत किया था, वाद संख्या 65/05 दिनांक 25.05.2011 को वाद डिग्री अदालत हाजा द्वारा किया गया।

वादीगण नं0 1 लगायत 4 का पिता तीन वर्ष का था, तब लादू फौत हो गया तब प्रतिवादीगण का पिता रामनाथ बड़ा होने पर कर्ता खानदान तथा सामाजिक रिवाज अनुसार प्रचलित नियमो के अनुसार बड़े के नाम नामान्तरण दर्ज करवा लिया, जबकि वादी[illegible]नाथ व लक्ष्मण ने की, विवाह आदि भी उन्होने किया, ग्राम बसावा की भूमि प्रतिवादीगण [illegible]ता [illegible]नाथ व वादीगण नं0 5 लगायत 8 के पिता लक्ष्मण का नामान्तरण मे दर्ज करवा लिया, [illegible] 4 [illegible]दारी अधिकारो वंचित कर दिया, जिस पर वाद संख्या 6[illegible]/05 [illegible] नाम घीसी वगैरह अदालत हाजा में प्रस्तुत करने के बाद वाद दोनो पक्षो के दस्तवेजात व साक्ष्य प्रस्तुत [illegible] के बाद वादीगण के पक्ष में दावा डिग्री दिनांक 25.05.2011 को अदालत हाजा द्वारा किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. दै.)
नवलगढ़

से पैत्रिक सम्पति में अधिकार पैदा हो जाता है, ग्राम बसावा की भूमि में वादीगण नं. 1 लगायत 4 को प्रकारो से गलत रूप से महरूम किया। रामनाथ चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति होने के कारण ग्राम डा की वादग्रस्त भूमि से वादीगण को वंचित गलत रूप से किया, हालांकि उसको ऐसा करने का कोई धिकार नहीं है, उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के अधिकारो के खिलाफ बेअसर व शुन्य है, गलत राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार पैदा नहीं होते, गलत राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के धिकारो के खिलाफ कोई प्रतिकुल असर नहीं डालता, परन्तु गलत राजस्व रिकॉर्ड के रहने से वादीगण सख्त हकतलफी पैदा होती है।

वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में गलती से नाम नहीं आने व गलत राजस्व रिकॉर्ड के बनने से तिवादीगण को उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड से कोई हित साधन नहीं होता, परन्तु गलत रिकॉर्ड की आड़ में तिवादीगण वादीगण को बेदखल अथवा अपनी हिस्से की भूमि का विकास करने में असुविधा होती है। साथ ही गलत रिकॉर्ड के रहने से वादीगण राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान आदि अन्य सुविधाओं से वंचित होते है, हालांकि प्रतिवादीगण को उसके वैध अधिकारो से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है, परन्तु किसी भी समय नियत में खोट उत्पन्न होने पर वादीगण के वैध अधिकारो से राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में वंचित कर सकते है, हालांकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, अपने अधिकारों की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया तथा प्रतिवादीगण वादीगण को ऐलानियां धमकी देते है कि राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराओ अन्यथा भूमि को काश्त नहीं करने देंगे, हालांकि ऐसा करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में परेशान कर सकते है। अगर वादीगण को प्रतिवादीगण गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में वैध अधिकारो से वंचित कर देंगे तो वादीगण की सख्त हकतलफी होगी तथा मुकदमेबाजी में व्यर्थ में फंसना होगा, इसलिये वादीगण अपने अधिकारो की रक्षा के लिये वाद घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है, वादीगण को दिनांक 12.06.2011 को इस आशय की धमकी दी कि भूमि को काश्त नहीं करने देगे, गलत राजस्व रिकॉर्ड बनने व उक्त राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में किसी भी क्षण अधिकारो से वंचित कर सकते है।

प्रतिवादीगण की मंशा में फर्क आ गया, वादीगण किसी भी क्षण उनके वैध अधिकारो से वंचित करने पर आमादा है। अगर अपनी नाजायज मंशा में प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादीगण का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा, साथ ही साथ अपने वैध अधिकारो से वंचित होगे, जिसमें व्यर्थ की मुकदमेबाजी में फंसना होगा, जिससे वादगीण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं है तथा मानसिंक परेशानी अलग होगी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण के कब्जे–काश्त उपयोग, उपभोग लाट बाट में न तो स्वंय दखलन्दाजी उत्पन्न करें, न ही अन्य किसी से ऐसा करावें, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे।

वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.06.2011 को इस आशय से धमकी दी कि राजस्व रिकॉर्ड हमारे नाम है, काश्त नहीं करने देंगे व गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में अधिकारो से वंचित करने की देने के रोज अदालत हाजा में पैदा हुआ।

फरीकेन अदालतहाजा के स्थाई निवासी है तथा वादग्रस्त भूमि क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने के कारण सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा 3/–रूपये की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है, ऐसे वाद के लिये कोई मियाद तैय नहीं है, इसलिये वाद अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:10:11 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

(45)

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन है कि :–
वाद वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस उमर की घोषणा की डिग्री फरमाई जावें कि वाके ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1124/0.02, 1125/3.50 कुल तादादी 3.52 हैक्टर का वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण के कब्जेकाश्त, लाट–बाट, उपयोग उपभोग में न तो स्वंय बाधा डाले, ना ही अन्य किसी से डलवाये, रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वंय करें, ना ही अन्य किसी से ऐसा करवायें।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। वादी नम्बर 5 भागीरथ का स्वर्गवास होने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी को पेश हुआ जो स्वीकार होकर प्रतिवादी नम्बर 05 के वारिस वादीगण संख्या 5/1 लगायत 5/6 को बतौर वादी संयोजित किया गया। वादी नम्बर 6 प्रहलाद का स्वर्गवास होने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी को पेश हुआ जो स्वीकार होकर प्रतिवादी नम्बर 06 के वारिस वादीगण संख्या 6/1 लगायत 6/9 को बतौर वादी संयोजित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार जागिड़ ने वकालत नामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 08 की मृत्यु होने पर प्रतिवादी नम्बर 08 भानी पुत्री नन्दाराम का नाम दावे से नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार होने पर प्रतिवादी संख्या 02 के कायम मुकाम (वारिसो) को बतौर प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/11 संयोजित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/11 की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर कुमार जागिड़ ने वकालतनाम पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर जवाब दावा पेश कर अंकित किया गया कि :–
वाद–पत्र की धारा 1 में ग्राम गोठडा में भूमि पुराने खसरा नम्बर 648 मी. रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा, खसरा नम्बर 651 मी. रकबा 2 बीघा 2 बिश्वा, खसरा नम्बर 649 रकबा 5 बीघा 9 बिश्वा स्थित होना स्वीकार है। यह अस्वीकार है कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है, बल्कि उपरोक्त वर्णित पुराने खसरा नम्बर 648 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा व खसरा नम्बर 651 रकबा 2 बीघा 2 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिश्वा भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 8 के पूर्व रामनाथ की खातेदारी काश्त की भूमि थी तथा पुराने खसरा नम्बर 649 रकबा 5 बीघा 9 बिश्वा भूमि कुशला पुत्र मंगला की खातेदारी काश्त की भूमि थी। उक्त भूमि कभी भी वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नही रही है, उक्त भूमि कभी भी वादीगण की कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि नही रही है, उक्त भूमि में से पुराने खसरा नम्बर 648 व 651 की भूमि हमेशा से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 के पूर्वज रामनाथ पुत्र तेजा के कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि थी, तथा खसरा नम्बर 649 की भूमि जो कुशला पुत्र मंगला की खातेदारी की थी, को प्रतिवादीगण/जबवादेहन्दागण के पूर्वज रामनाथ [illegible] उक्त पुराने खसरा नम्बर 648, 6651 व 649 की भूमि के नये खसरा नम्बर 1124 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 1125 रकबा 3.50 हैक्टर बने। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] खातेदार काश्तकार होना निहायत गलत दर्ज किया गया है।

वाद–पत्र की धारा 2 में वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली स्वीकार है। वंशावली के अनुसार वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवीदगण का 1/3 हिस्सा गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि उपरोक्त मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण का हक हिस्सा ना तो कभी रहा है, तथा ना ही आज है। वादीगण का वाद ग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नही रहा है। वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि हमेशा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रै.)

रामनाथ के खातेदारी कब्जे काश्त की रही है तथा रामनाथ के फौत होने के पश्चात उसके वारिसान
दीगण/जबवादेहन्दागण की खातेदारी कब्जे काश्त की हमेशा से रही है। ग्राम बसावा मे नामान्तकरण
1 33 दिनांक 05.07.1956 दर्ज किए जाने का विचाराधीन वाद में कोई सम्बन्ध नही है। ग्राम गोठडा की
जवाबदेहन्दागण की खातेदारी हक अधिकारों व कब्जे काश्त की भूमि है, जो जबवादेहन्दागण को अपने
रामनाथ से प्राप्त हुई है। वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा वाद संख्या 66/2005 का निर्णय दिनांक
5.2011 को होना स्वीकार है, जिसकी अपील राजस्व अपली अधिकारी के यहां विचाराधीन है।

वाद–पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि
गण नम्बर 1 लगायत 4 का पिता 3 वर्ष का था तब लादू का पिता तेजा फौत हो गया है। वादीगण
तेजा की मृत्यु को कोई वर्ष दर्ज नही किया गया है ना ही कोई सम्वत् दर्ज किया गया है। वादीगण
प्रतिवादीगण के पूर्वज तेजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के काफी वर्ष पूर्व फौत हो
का था, इसलिए तेजा की जमीन होना व उसका नामान्तकरण दर्ज होना आदि सभी तथ्य बेमानी है। यह
स्वीकार है कि वादीगण के पिता लादू की परवरिश रामनाथ व लक्ष्मण की है। ग्राम बसावा की जमीन
बत वाद 65/05 लाडो देवी बनाम घासी वगैरह पेश किए जाने से तथा दावा डिक्री दिनांक 25.05.2011
होने से उक्त वाद का कोई सम्बन्ध नही है। उपरोक्त वर्णित वाद संख्या 65/2005 के निर्णय की
अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू में की गई है, जिसमें निर्णय व डिक्री की
क्रियान्वति पर रोक भी लगाई गई है, उक्त वाद का निर्णय कानूनी बिन्दुओं की अनेदेखी करते हुए जारी
किया गया है, जिसके लिए उक्त अपील की गई है, तथा उक्त वाद संख्या 65/2005 के निर्णय से मौजुदा
विचाराधीन वाद जो ग्राम गोठडा में स्थित जवाबदेहन्दागण की खातेदारी हक अधिकारो की भूमि बाबत
किया गया है, किसी भी रूप से प्रभावित नही होता है।

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार पैदा होना स्वीकार है परन्तु
मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि नही है बल्कि जवाबदेहन्दागण के हक अधिकारों की भूमि है, जो
जवाबदेहन्दागण/प्रतिवादीगण को अपने पूर्वज रामनाथ से उतराधिकार में प्राप्त हुई है। रामनाथ का चतुर
चालाक होना गलत दर्ज किया गया है, ना ही रामनाथ ने किसी भी तरह से वादग्रस्त भूमि में वादीगण को
वंचित नही किया है, ना ही राजस्व रिकार्ड गलत बना है। उपरोक्त वाद में मद संख्या 1 में वर्णित भूमि
प्रतिवादीगण/जवाबदेहन्दागण की खातेदारी हक अधिकारों की भूमि है जिसको मौके पर वादीगण हमेशा से
काश्त करते है तथा जवाबदेहन्दागण से पूर्व जबवादेहन्दागण के पूर्वज रामनाथ उक्त भूमि को हमेशा से
काश्त करते थे, तथा खातेदार थे। वादीगण द्वारा उक्त वाद बिना किसी अधिकार के गलत तथ्यों के आधार
पर जबवादेहन्दागण को नाजायज परेशान करने के लिए पेश किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य
है।

वाद–पत्र की धारा 4 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह कहना स्वीकार है कि राजस्व
रिकार्ड में वादीगण का नाम गलती से नही आया हो, गलत राजस्व रिकार्ड से कोई हित साधन नही होता
हो तथा गलत रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादीगण [illegible] को बेदखल कर रहे हो अथवा अपने हिसस से की
भूमि में विकास करने में कोई असुविधा होती हो, बल्कि सही तथ्य [illegible] राजस्व रिकार्ड सही बना है,
तथा अपनी हक अधिकारो व खातेदारी भूमि से [illegible] जवाबदेहन्दागण को
प्राप्त है। वादीगण के वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार ही नही है [illegible] सरकार द्वारा जवाबदेहन्दागण की
हक अधिकारी की भूमि पर किसी तरह के मिलने वाली अनुदान आदि पर कोई अधिकार अथवा
सुविधा–असुविधा का कोई अर्थ ही नही है। ना ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण मे कोई वैध अधिकार है।
जवाबदेहन्दागण की अपनी हक अधिकारों व कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में नियत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

आने की बात अर्थहीन है, वादग्रस्त भूमि पर वादीगण में कोई अधिकार नही है, उक्त वाद झुंठा व गढ़त आधारों पर पेश किया गया है, जो निरस्तनीये है।

वाद-पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। जवाबदेहन्दागण की नियत कोई फर्क नही आया है, ना ही जवाबदेहन्दागण ने कोई धमकी वादीगण को नही दी है, ना ही राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत कहा है जब रिकार्ड सही है तो रिकॉर्ड दुरूस्त क्यों करवाया जावे, ना ही वादीगण को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त है, जिसमें वादीगण रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन हेतु वाद कर सके। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को परेशान कर सकने की बात निहायत गलत दर्ज की है, तो हक तलफी का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादीगण अनावश्यक रूप से व्यर्थ की मुकदमे बाजी कर जवाबदेहन्दागण को फंसा रहे है, इसलिए उक्त वाद खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है।

वाद-पत्र की मद संख्या 6 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण की नियत में कभी कोई फर्क नही आया ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी है ना ही वादीगण के वैध अधिकारों से वंचित करने की जवाबदेहन्दागण की कोई योजना नही है। विस्तृत जवाब उपर के मदों मे तथा अतिरोक्तर में दिया गया है।

वाद-पत्र की मद संख्या 7 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर ना तो वादीगण ने कभी काश्त की है, ना कभी रिकॉर्ड वादीगण के नाम रहा है, ना ही किसी भी कानून के तहत वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार वादीगण के पैदा होते है, इसलिए वादीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है, तथा ना ही सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है, तथा वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार ही वादीगण के नही है, तो किसी तरह की कोई क्षति होने की संभावना वादीगण को नही है। वादीगण द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया है, जो काबिले खारिज है।

वाद-पत्र की मद संख्या 8 गलत होने से असवीकार है। वादीगण को किसी तरह का कोई वादकारण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कभी भी पैदा नही हुआ है। वाद-पत्र की मद संख्या 9 व 10 कानूनी होने से स्वीकार की गई है।

वाद-पत्र की मद संख्या 11 गलत होने से अस्वीकार है, वादग्रस्त भूमि में वादीगण द्वारा अपनी हक अधिकार टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के बाद से कभी भी रिकार्ड में वादीगण का नाम नही रहा है, इसलिए उक्त वाद मियाद बाहर होने निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद-पत्र की मद संख्या 12 जिस प्रकार से गलत है अस्वीकार है, वादीगण किसी भी तरह की कोई सिद्धी प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

:: अतिरिक्तोत्तर ::

ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1125 रकबा 3.50 हैक्टर प्रतिवादीगण के हक अधिकारों, कब्जा, काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि जवाबदेहन्दागण को अपने पूर्वज रामनाथ से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में रामनाथ के नाम थी तथा रामनाथ उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हमेशा से रहा है, जो कि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उक्त भूमि पर काश्त करता था, तथा काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब रामनाथ को उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त हुई जो लगातार रामनाथ के कब्जा काश्त व खातेदारी में रही तथा रामनाथ के फौत होने के बाद उक्त भूमि जवाबदेहन्दागण को विरासत में प्राप्त हुई। जिस पर निरन्तर जवाबदेहन्दागण काबिज है काश्त करते है, तथा खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर किसी भी कानून के तहत कोई हक अधिकार वादीगण को प्राप्त नही हो सकते, इसलिए प्रस्तुत वाद निरस्त किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादीगण द्वारा अथवा वादीगण के पूर्वज द्वारा कभी भी काश्त नही की
लगान नही दिया गया ना ही राजस्व रिकार्ड में कभी वादीणग का नाम रहा है। इसलिए उक्त वाद झूठे
के आधर पर दर्ज किए जाने कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

वादीगण द्वारा अपने पूर्वज लादूराम व लक्ष्मण राम जो कि जवाबदेहन्दागण के पूर्वज रामनाथ का
है, को वादग्रस्त भूमि में रामनाथ के पिता तेजाराम से विरासत से मिलना बताते हुए पेश किया है,
कि वादग्रस्त भूमि हेश से पूर्व में रामनाथ काश्त की जाती रही है तथा खातेदारी में थी तथा बाद में
दीणग के द्वारा कश्त की जाती रही है तथा खातेदारी में थी, जिसकी वादीगण को हमेशा से ही जानकारी
है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से काफी वर्ष पूर्व तेजारा की मृत्यु होना वाद में
ताया गया है, हांलाकि वाद में वादीगण द्वारा कहीं भी तेाराज की मृत्यु का सम्वत् अथवा वर्ष लिखने में
क्षम नही हुए है, यह स्वीकार करते है, कि तेजाराम की मृत्यु काश्तकारी अधिनियम में प्रभाव में आने से
र्व में हुई है। जब तेजाराम की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावम में आने से पूर्व मे हुई है ।
जब तेजाराम की की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व हुई तो नामान्तकरण दर्ज
होने का कोई तात्पर्य नही है जबकि वादीगण द्वारा दर्ज किया गया है, कि नामान्तकरण अकेले रामनाथ के
नाम दर्ज हो गया। वास्तव में उक्त भूमि जवाबदेहन्दागण के पूर्वज रामनाथ की स्वअर्जित सम्पति थी,
जिसमें रामनाथ के भाई लादू व लक्ष्मणराम का कोई लेना देना नही था। यदि उक्त भूमि में रामनाथ के
भाई लादू व लक्ष्मण को कोई हित होता तो भी वे ही अपने अधिकारों हेतु वाद ला सकते थे, वादीगण को
उक्त वाद पेश करने को कोई अधिकार नही हैं।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 648 मी॰ से बना है, जो रामनाथ के खातेदारी मे हमेशा से दर्ज रहा है, तथा नया खसरा नम्बर 1125 रकबा 3.50 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 648 मी॰ 649, 650 मी॰ व 651 से बना है जिसमें पुराने खसरा नम्बर 648 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा व खसरा नम्बर 651 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा रामनाथ की खातेदारी कब्जे काश्त के हमेशा से थे तथा भूमि पुराने खसरा नम्बर 649 रकबा 5 बीघा 9 बिश्वा पूर्व में कुशलाराम पुत्र मंगला की खातेदारी मे थी, जिसको रामनाथ ने क्रय कर लिया तथा पेमाईश के समय उक्त भूमि के नए खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1125 रकबा 3.50 हैक्टर बने जो सही रूप से रामनाथ की खातेदारी में दर्ज किए गए इस प्रकार उक्त भूमि रामनाथ की स्वअर्जित खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी, जो जवाबदेहन्दागण को विरासत में मिली है जिसमें वादीगण को कोई लेना देना नही है। वादीगण को उक्त भूमि के संबंध में कोई वादकारण पैदा कभी नही हुआ, उक्त वाद बिना वादकारण के पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अतः वाद वादीगण मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 21.02.2014 को तनकीयात कायम की गई दौराने दावा कुछ पक्षकारान की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। यहां यह भी दर्ज किया जा रहा है कि दौराने दावा वादग्रस्त भूमि विक्रय होने पर वादीगण की ओर से आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर क्रेता वी.के. शर्मा पुत्र जे.पी. शर्मा, सीनियर जनरल मैनेजर (पी एण्ड ए) श्री सीमेंट लिमिटेड रजि॰ ऑफिस [illegible] 09 के रूप में वाद में पक्षकार संयोजित बनाया गया जिनकी ओर से चन्द्रकांत शर्मा [illegible] वकालतनामा मय जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में विवरण इस [illegible] है कि ग्राम गोठड़ा में भूमि खसरा नम्बर पुराने 648, 651, [illegible] है। इस भूमि के नये खसरा नम्बर 1124, 1125 कुल किता 3.52 हैक्टर स्थित होना स्वीकार है यह [illegible] गलत है कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदार काश्त की भूमि हो बल्कि सही बात यह है कि भूमि खसरा नम्बर 1125 के खातेदार अनिता, अनिल कुमार, उर्मिला, कौशल्या देवी, गुलाबी, मूंगाराम, महावीर प्रसाद, राधा, सज्जना,

ए. सी. ई. एम. (फ्रा. ट्रै.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

49

त्रा खातेदार थे तथा खसरा नम्बर 1124 के खातेदार गोपाल, नन्दाराम, पतासी, प्रभात, फूलाराम, धर, बोदूराम, मूंगाराम, महावीर प्रसाद व सुरजी थे जिन्होने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 27.02. 18 व 05.03.2018 को पूर्ण प्रतिफल लेकर विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया उस पर जवाबदेहन्दागण श्त व काबिज है इस प्रकार विवादित भूमि जवाबदेहन्दागण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा मालिक है, काबिज है। वादीगण जब तक सक्षम न्यायालय में विक्रय–पत्रों को निरस्त नही करवा लेते वा कोई सिद्धि प्राप्त करने के अधिकार नही है इसलिए उक्त वादी खारीज होने योग्य है।

वाद–पत्र की धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है। इस धारा में दर्ज वंशावली की जानकारी जबवादेहन्दागण को नही है वंशावली वादीगण स्वयं साबित करे यह गलत है कि इस भूमि में वादीगण का 2/3 हिस्सा हो यह भी गलत है कि प्रतिवादीगण का भी 1/3 हिस्सा हो।

नोट :– इस पैरा में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का इस भूमि से कोई लेना देना नही है ना ही वादीगण का कभी काश्त व कब्जा रहा है। बसावा की भूमि अलग थी व उक्त भूमि अलग है जिनका एक–दुसरे से कोई सम्बन्ध नही है। इसलिए उक्त वाद चलने योग्न नही है। दिनांक 25.052011 की डिक्री के विरूद्ध अपील विचाराधीन है।

वाद–पत्र की धारा 3 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह अस्वीकार है कि वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 का पिता 3 वर्ष का था बत लादू का पिता तेजा फौत हो गया है वादीगण द्वारा तेजा की मृत्यु को कोई वर्ष दर्ज नही किया गया है ना ही कोई सम्वत् दर्ज किया गया है वादीगण व प्रतिवादगण के पूर्वज तेजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के काफी वर्ष पूर्व फौत हो चुका था इसलिए तेजा की जमीन होना व उसका नामान्तकरण दर्ज होना आदि सभी तथ्य बेमानी है यह अस्वीकार है कि वादीगण के पिता लादू की परवरिश रामनाथ व लक्ष्मण ने की है ग्राम बसावा की जमीन बाबत वाद 65/2005 लाडो देवी बनाम घासी वगैरह किये जाने से तथा दावा डिक्री दिनांक 25.05.2011 की होने से उक्त वाद का कोई सम्बन्ध नही है तथा उक्त वाद संख्या 65/2005 के निर्णय से मौजुदा विचाराधीन वाद जो ग्राम गोठड़ा में स्थित जवाबदेहन्दागण की खातेदारी हक अधिकारों की भूमि बाबत किया गया है किसी भी रूप से प्रभावित नही होता है। हिन्दु उताराधिकार अधिनियम में जन्म से पैतृक सम्पति में अधिकार पैदा होना स्वीकार है परन्तु मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि नही है बल्कि प्रतिवादीगण के हक अधिकारों की भूमि थी जो प्रतिवादीगण को अपने पूर्वज रामनाथ से उताराधिकार में प्राप्त हुई है। रामनाथ का चतुर चालाक होना गलत दर्ज किया गया है ना ही रामनाथ ने किसी भी तरह से वादग्रस्त भूमि में वादीगण को वंचित नही किया है ना ही राजस्व रिकार्ड गलत बना है उपरोक्त वाद में मद संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी हक अधिकारों की भूमि है जिसको मौके पर प्रतिवादीगण हमेशा से काश्त करते है तथा प्रतिवादीगण से पूर्व प्रतिवादीगण के पूर्वज रामनाथ उक्त भूमि को हमेशा से काश्त करते थे तथा खातेदार थे। वादीगण द्वारा उक्त वाद बिना किसी अधिकार के गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करने के लिए पेश किया गया है। जो खारिज होने योग्य है।

वाद–पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य गलत ... यह कहना अस्वीकार है कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलती से नही आया हो, गल... रिकार्ड से कोई हित साधन नही होता हो तथा गलत रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण ... अथवा अपने हिस्से की भूमि में विकास करने में कोई असुविधा ... कि भूमि से सम्बन्धित सभी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है। वादीगण के वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार ही नही है तो सरकार द्वारा प्रतिवादीगण के हक अधिकारों की भूमि पर किसी तरह से मिलने वाले अनुदान आदि पर कोई अधिकार अथवा सुविधा–असुविधा को कोई अर्थ ही नही है ना ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कोई वैध अधिकार है। प्रतिवादीगण अपने हक अधिकारों व कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में नियत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (...)

50

ट आने की बात अर्थहीन है, वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कोई अधिकार नही है, उक्त वाद झूंठा व बत आधारो पर पेश किया गया है। जो निरस्तनीय है।

वाद–पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण की नियत में फर्क नही आया है ना ही प्रतिवादीगण ने कोई धमकी वादीगण को नही दी है, ना ही राजस्व रिकॉर्ड रुस्त करवाने बाबत कहा है जब रिकार्ड सही है तो रिकार्ड दुरूस्त क्यों करवाया जावे, ना ही वादीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त जिससे वादीगण रिकार्ड में कोई परिवर्तन हेतु वाद कर के। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को परेशान कर सकने की बात निहायत गलत दर्ज की है, जब वादीगण वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार ही नही है, तो हक तलफी को कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादीगण अनावश्यक रूप से व्यर्थ की मुकदमें बाजी कर प्रतिवादीगण को फंसा रहे है, इसलिए उक्त वाद खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है।

वाद–पत्र की मद संख्या 6 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण की नियत में कभी कोई फर्क नही आया ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी है ना ही वादीगण के वैध अधिकारो से वंचित करने की प्रतिवादीगण की कोई योजना नही है।

वाद–पत्र की धारा 7 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर ना तो वादीगण ने कभी काश्त की है, ना कभी रिकार्ड वादीगण के नाम रहा है, ना ही किसी भी कानून के तहत वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार वादीगण के पैदा होते है, इसलिए वादीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है, तथा ना ही सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादग्रस्त भूमि पर कोई हक अधिकार ही वादीगण के नही है तो किसी तरह की कोई क्षति होने की संभावना वादीगण को नही है। वादीगण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया है, जो काबिल खारिज है।

वाद–पत्र की मद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण को किसी तरह का कोई वादकारण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कभी भी पैदा नही हुआ है। वाद–पत्र की धारा 9 व 10 कानूनी होने से स्वीकार है।

वाद–पत्र की धारा 11 गलत होने से अस्वीकार है, वादग्रस्त भूमि में वादीगण द्वारा अपने हक अधिकार टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व में उत्पन्न होना माना है, तथा टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के बाद से कभी भी रिकार्ड में वादीगण का नाम नही रहा है, इसलिए उक्त वाद मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

यह है कि वाद–पत्र की मद संख्या 12 गलत होने से अस्वीकार है, वादीगण किसी भी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त करने के अधिकार नही है।

:: अतिरिक्तोत्तर ::

विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकारों से जवाबदेहन्दा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है इस प्रकार जवाबदेहन्दा विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है व काबिज है। जब तक वादीगण सक्षम न्यायालय से विक्रय–पत्रों को शून्य घोषित नहीं करवा लेते वे कोई सिद्धि प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

विवादित भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा ना ही ... प्राप्ति की इस्तदुआ चाही है कब्जे के अभाव में वाद खारिज होने योग्य है वादीगण ने कभी ... अदा नही किया है इसलिए वाद खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि की किस्म माईन्स खान की है इसका लीज दिनांक 08.05.2019 है इसलिए काश्त की भूमि नही होने के क्षेत्राधिकार नही है। अतः वादीगण गा वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

(51)

प्रतिवादीगणों की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा रिवाईज्ड तनकीयात कायम की
तथा पूर्ववर्ती तनकी संख्या 3 व 4 तनकी संख्या 1 व 2 पर आधारित होने पर हटाई गई। प्रकरण में
अनुसार तनकीयात कायम की गई:–

आया भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 1124, 1125 रकबा क्रमशः 0.02, 3.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.52 हैक्टर वाके ग्राम गोठड़ा वादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण अपना 2/3 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

–भा.स.वादीगण

आया वादीगण प्रतिवादीगण को भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 1124, 1125 रकबा क्रमशः 0.02, 3.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.52 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में 2/3 हिस्से के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

–भा.स.वादीगण

आया वादी को कोई वादकारण पैदा नही होने से दावा खारिज होने योग्य है।

–भा.स.प्रतिवादी

आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में बने विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2018 व 05.03.2018 को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा लेता हैं वह कोई सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 9

5. आया वादग्रस्त भूमि में किस्म परिवर्तित होने से श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नही है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 9

6. दादरशी

प्रकरण में तनकीयात कायम कर शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में **पीडब्ल्यू–1** वादी रामचन्द्र,
पीडब्ल्यू–2 गिरधारी के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र प्रस्तुत कर परिक्षित हुए तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन
में दस्तावेजात नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श ए1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2013–2016
प्रदर्श–ए2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016–2020 तक प्रदर्श–ए3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021–2024 तक
प्रदर्श–ए4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2025–2028 तक प्रदर्श–ए5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 तक
प्रदर्श–ए6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2033–2036 तक प्रदर्श–ए7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2043 प्रदर्श–ए8,
नकल जमाबंदी सम्वत् 2046–2049 तक प्रदर्श–ए9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2050–2053 तक प्रदर्श–ए10,
नकल जमाबंदी सम्वत् 2054–2057 तक प्रदर्श–ए11, नकल जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 तक प्रदर्श–ए12,
नकल जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 तक प्रदर्श–ए13, नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 तक प्रदर्श–ए14,
फोटो कोपी नामान्तकरण संख्या 33 दिनांक 5.7.1956 बसावा प्रदर्श–ए15, फोटो कॉपी नामान्तकरण संख्या
237 दिनांक 19.1.1996 प्रदर्श–ए16, फोटो कॉपी फैसला मय डिक्री मुकदमा नम्बर 65/2005 दिनांक 25.05.
2011 उनवान लाडो देवी आदि बनाम घीसा वगैरह प्रदर्श–ए17 प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 की ओर से ... साक्ष्य हेतु उपस्थित नही
हुए है, ना ही उनकी ओर से कोई दस्तावेजात प्रदर्शित हुए। ... प्रति... में श्री सीमेंट के अधिकृत
के.के. शर्मा डीडब्ल्यू–1 साक्ष्य हेतु मुख्य परीक्षण का शपथ ... तथा साक्ष्य प्रतिवादी में
दस्तावेजात **डीडब्ल्यू–1** जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श डीडब्ल्यू–2 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श
डीडब्ल्यू–3 विक्रय पत्र दिनांक 05.03.2008 प्रदर्शित करवाये गये।

शहातद पेश होने पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र में
वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की तथा कथन किया कि ग्राम गोठड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
न्यायालय

बन्धक से पूर्व 648 मी, 648 मी, 649मी., 951 वर्तमान खसरा नम्बर 1124, 1125 रकबा क्रमशः 0.02 व
50 हैक्टर कुल तादादी 3.52 हैक्टर अवस्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण के पीढियों से चली आ रही
पैत्रिक सम्पति है, वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार तथा काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण
की वंशावली वाद–पत्र के पैरा नं. 2 में दिये अनुसार है, जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा
राबर–बराबर है यानि वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा है। स्व0 मंगला की
खातेदारी की भूमि ग्राम बसावा की सरहद में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी कुशला, सेवाराम, भाना व
रामनाथ, लिछमण के नाम से दर्ज थी, मंगला के देहान्त के बाद नामान्तरण दिनांक 05.07.1956 दर्ज किया,
जिसका नामान्तरण संख्या 33 है, जो वाद का ही एक भाग है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के
ग्राम गोठडा में भी आई, इस प्रकार से उपरोक्त भूमि पैत्रिक है, वादीगण नं0 1 लगायत 4 द्वारा
प्रतिवादीगण घीसा वगैरह के विरूद्ध वाद घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा अदालत में प्रस्तुत किया था, वाद
संख्या 65/05 दिनांक 25.05.2011 को वाद डिग्री अदालत हाजा द्वारा किया गया। वादीगण नं0 1 लगायत
4 का पिता तीन वर्ष का था, तब लादू फौत हो गया तब प्रतिवादीगण का पिता रामनाथ बड़ा होने पर कर्ता
खानदान तथा सामाजिक रिवाज अनुसार प्रचलित नियमो के अनुसार बड़े भाई के नाम नामान्तरण दर्ज
करवा लिया, जबकि वादीगण के पिता लादू की परवरिश रामनाथ व लक्ष्मण ने की, विवाह आदि भी उन्होने
किया, ग्राम बसावा की भूमि प्रतिवादीगण के पिता रामनाथ व वादीगण नं0 5 लगायत 8 के पिता लक्ष्मण का
नामान्तरण मे दर्ज करवा लिया, वादीगण नं0 1 लगायत 4 को खातेदारी अधिकारो वंचित कर दिया, जिस
पर वाद संख्या 65/05 लाडो देवी आदि बनाम घासी वगैहर अदालत हाजा में प्रस्तुत करने के बाद वाद
दोनो पक्षो के दस्तवेजात व साक्ष्य प्रस्तु त होने के बाद वादीगण के पक्ष में दावा डिग्री दिनांक 25.05.2011
को अदालत हाजा द्वारा किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में जन्म से पैत्रिक सम्पति में अधिकार
पैदा हो जाता है, ग्राम बसावा की भूमि में वादीगण नं. 1 लगायत 4 को अधिकारो से गलत रूप से महरूम
किया। रामनाथ चतुर चालाक किश्म का व्यक्ति होने के कारण ग्राम गोठडा की वादग्रस्त भूमि से वादीगण
को वंचित गलत रूप से किया, हालांकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, उक्त गलत राजस्व
रिकॉर्ड वादीगण के अधिकारो के खिलाफ बेअसर व शुन्य है, गलत राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण को कोई
अधिकार पैदा नहीं होते, गलत राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के अधिकारो के खिलाफ कोई प्रतिकुल असर नहीं
डालता, परन्तु गलत राजस्व रिकॉर्ड के रहने से वादीगण को सख्त हकतलफी पैदा होती है।

तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित सम्पति को पैतृक होने
से इन्कार किया तथा कथन किया कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेता के आधार पर क्रय
किया है। भूमि खनन के कार्य में काम आ रही है। भूमि की किस्म कृषि न होकर खनन हेतु परिवर्तित हो
चुकी है। वादी ने ना तो पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात पेश किया है, ना ही प्रतिवादी के पक्ष में
निष्पादित विक्रय पत्र को चुनौती दी है, ना ही सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाया है। इसलिए वादीगण
खातेदार अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है इसलिए वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी की आपति का [illegible] कि विक्रय पत्र धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण
अधिनियम के तहत शून्य है जो दौराने वाद–पत्र निष्पादित कर[illegible]सका कानून की दृष्टि में कोई
महत्व नही है। वादी ने भूमि की किस्म रूपान्तरण का कोई [illegible] नही किया है भमि की किस्म
आज तक बारानी है तथा वाद–पत्र प्रस्तुत करने के समय भूमि [illegible] कृषि प्रयोजनार्थ थी। इसलिए
पश्चातवर्ती घटना से न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित नही होता इसलिए प्रतिवादी की आपति कोई महत्व
नही रखती। वकील वादीगण ने न्यायिक दृष्टांत RLW2007(1)RJ P[illegible] NO. 349 पेश किया गया जिसमें
अंकित किया गया है कि सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882, की धारा 52 क्या राजस्व व9ाद के लम्बित रहने
के दौरान भूमि का विक्रय विलेख जो निष्पादित किया जाता है वह लम्बित वाद के सिद्धांत से टकराता है ?

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

त विचाराधीन वाद के सिद्धांत की दृष्टि से अन्तरण अकृतता था– वादी को सिविल न्यायालय में
र करके विक्रय विलेख के निरस्तीकरण का अनुतोषण चाहने की जरूरत नही है– राजस्व
वाद का विचारण करने हेतु सक्षम है। इसलिए दावा डिक्री किया जावे।
त्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये
कीयात निम्नानुसार है:–

तनकी नम्बर 1 :– आया भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 1124, 1125 रकबा क्रमशः 0.02, 3.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.52 हैक्टर वाके ग्राम गोठड़ा वादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण अपना 2/3 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

–भा.स.वादीगण

तनकी नम्बर 1 का साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण वाद–पत्र के माध्यम से यह करके आये है कि विवादित भूमि रामनाथ, लक्ष्मण व लादू की पैतृक सम्पति है। वादीगण संख्या 1 यत 4 का पूर्वज लादू खातेदारी मिलने के समय नाबालिग था तथा प्रतिवादीगण का पिता रामनाथ बड़ा र्ता खानदान था। बड़ा होने के कारण भूमि का राजस्व रिकार्ड सामाजिक रिति रिवाज व प्रचलित मों के अनुसार बड़े भाई रामनाथ के नाम दर्ज हो गया, जबकि वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का पिता दू भी भूमि को काश्त करता था परन्तु नाबालिग होने के कारण उसका नाम नही आया। प्रतिवादी संख्या लगायत 7 ने अपने जवाब दावे मे उज्र उठाया है कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 648, 651 रामनाथ की तेदारी की भूमि है तथा प्रथम जमाबंदी में भी रामनाथ का ही नाम दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 649 शला वल्द मंगला की खातेदारी की भूमि थी जिसे रामनाथ व उसके पुत्र ने क्रय की है। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे भूमि पैतृक साबित हो। दौराने बहस उनकी आरे से कोई तर्क प्रस्तुत नही किये गये है। मात्र प्रतिवादी नम्बर 9 की ओर से ही आपति प्रस्तुत की गई है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मतें आने पर विवादित भूमि के संबंध में प्रथम भू–प्रबंध अभिलेख सम्वत् 2013 से 2016 बना है, जो प्रदर्श–ए3 है, जिसमें खसरा नम्बर पुराना 648, 651 रामनाथ वल्द तेजा के नाम से दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 649 कुशला वल्द मंगला के नाम से दर्ज है। चूंकि वादीगण यह कथन करके आये है कि विवादित भूमि का रिकार्ड रामनाथ के नाम बड़ा भाई होने के कारण दर्ज हुआ है। वादीगण नाबालिक थे तथा रामनाथ ही कर्ता खानदान था, इस कारण रामनाथ के नाम दर्ज हुआ है। प्रदर्श–ए3 का अवलोकन किया जाये तो भूमि खसरा नम्बर 648 व 651 रामनाथ के नाम से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 649 कुशला के नाम दर्ज है जो सैंटलमेंट के बाद रामनाथ उसके पुत्र के नाम दर्ज हुई है। रामनाथ के नाम भूमि कैसे आई यह तथ्य प्रतिवादीगण ने भी स्पष्ट नही किया है ना ही ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किया है जिससे भूमि रामनाथने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र खरीदी गई हो जिससे यह साबित हो कि भूमि रामनाथ की स्वअर्जित सम्पति हो। भूमि की खातेदारी सीधे ही जागिरी खालसा होने पर रामनाथ के नाम दर्ज हुई है। सामान्य तौर पर प्रथम सैंटलमेंट में भूमि का रिकार्ड बड़े भाईयों के नाम से दर्ज [illegible] खातेदारी अधिकारों से छोटे भाई वंचित रहे है जबकि कब्जा काश्त सभी का रहता [illegible] है। [illegible] वादीगण नम्बर 1 लगायत 7 ने मात्र जवाब दावा प्रस्तुत किया है अपने जवाब [illegible] संबंध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत [illegible] खसरा नम्बर 648 व 651 स्वअर्जित सम्पति हो तथा भूमि खसरा नम्बर 649 कुशला से खरीदी गई हो, [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 या उनके वारिसान साक्ष्य हेतु पेश हुए है। ना ही साक्षी के तौर पर परिक्षित हुए है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की आपति प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 साबित करने में सफल नही हुए है। प्रतिवादी संख्या 9 श्री सीमेंट क्रेता है, जिनका अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के अधिकारों पर निर्भर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा.है.)

54

गण व प्रतिवादी संख्या 9 कम्पनी श्री सीमेंट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों को प्रदर्शित करवाया है। क्रय पत्र के अवलोकन से देखा जाये तो विक्रय पत्र कम्पनी श्री सीमेंट के अधिकृत व्यक्ति वी.के. शर्मा के म से निष्पादित है। वी.के. शर्मा भी साक्ष्य में प्रस्तुत नही हुए है ना ही स्वयं को परिक्षित करवाया है। वाब दावा प्रतिवादी संख्या 9 का अवलोकन किया जये तो जवाब दावा कम्पनी श्री सीमेंट की ओर से मल किशोर उर्फ के.के. शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा साक्ष्य में भी के.के. शर्मा परिक्षित हुए है। त्रावली के अवलोकन से महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी सामने आया है कि के.के. शर्मा कम्पनी श्री सींमेंट के धिकृत व्यक्ति कैसे है, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के रिकार्ड पर नही है। कम्पनी की ओर से के.के. र्मा के पक्ष में निष्पादित पॉवर ऑफ अटोर्नी भी रिकार्ड पर नही है। ना ही कोई पॉवर ऑफ अटोर्नी तिवादी की ओर से प्रदर्शित हुई है। फोटो कॉपी किसी भी दस्तावेज की साक्ष्य में ग्राहय नही है ना ही फोटो कॉपी को कानूनन पढा जा सकता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा उठाई गई आपति दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में ग्राहय नही मानी जा सकती। ना ही दस्तावेज के अभाव में उनके अधिवक्ता के तर्क व आपतियां कम्पनी की ओर से पढी व मानी जा सकती है। के.के. शर्मा श्री सीमेंट कम्पनी की ओर से अधिकृत व्यक्ति है या नही दस्तावेज क अभाव में संदेहास्पद है। फलस्वरूप तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में साबित होनी पाई जाती है। फलस्वरूप दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 2** :– आया वादीगण प्रतिवादीगण को भूमि खसरा नम्बर वर्तमान 1124, 1125 रकबा क्रमशः 0.02, 3.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.52 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में 2/3 हिस्से के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

–भा.स.वादीगण

तनकी नम्बर 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। चूंकि तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष में तय की गई है जिसके अनुसार वादीगण विवादित भूमि के 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा करवाने के अधिकारी है। फलस्वरूप उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. **तनकी नम्बर 3** :– आया वादी को कोई वादकारण पैदा नही होने से दावा खारिज होने योग्य है।

–भा.स.प्रतिवादी

तनकी नम्बर 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादीगण ने वाद–पत्र की मद संख्या 8 में वाद–कारण पैदा होने के तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्ज किया है। वादकारण कानूनन वाद–पत्र के बंण्डल ऑफ फैक्टस् से पैदा होता है जो वादीगण की प्लीडिंग से उत्पन्न हो रहा है, जबकि प्रतिवादीगण ने वादकारण उत्पन्न नही होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, ना ही जिरह में ऐसा कोई प्रश्न वादीगण से प्रश्नगत किया गया है फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

4. **तनकी नम्बर 4** :– आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में बने विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2018 व 05.03.2018 को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवा लेता है वह कोई सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 9 की ओर से उपस्थित व्यक्ति की उपस्थिति संदेहास्पद है जिसका स्पष्ट विवेचन तनकी नम्बर 1 में किया जा चुका है। वैसे भी प्रतिवादी नम्बर 9 के पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र दौराने दावा निष्पादित हुये है। धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की व्याख्या के अनुसार दौराने दावा निष्पादित विक्रय–पत्र वाद–पत्र के निर्णय पर निर्भर करता है यदि वादीगण के पक्ष में दावा स्वीकार होता है तो दौराने दावा निष्पादित विक्रय पत्र

व शून्य होता है तथा दावा अस्वीकृत होने पर दस्तावेज प्रभाव में आता हैं। चूंकि तनकी नम्बर 1 ादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है। इसलिए वादीगण 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण हिस्से तक विक्रय–पत्र वादीगणों के अधिकारों पर निष्प्रभावी है। धारा 52 के तहत निष्पादित दस्तावेजों ो कानूनन निरस्त करवाने की कानूनन आवश्यकता नही है। फलस्वरूप उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 9 के विरूद्ध तय की जाती है।

5. **तनकी नम्बर 5** :– आया वादग्रस्त भूमि में किस्म परिवर्तित होने से श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नही है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 9

तनकी नम्बर 05 को साबित करने को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 9 ने दौरारे दावा भूमि क्रय की है जिसका प्रभाव शून्य है। शून्य दस्तावेज के आधार पर की गई कार्यवाही का प्रभाव भी शून्य है। वाद–पत्र प्रस्तुत करने के समय विवादित भूमि कृषि भूमि है, जो न्यायालय द्वारा ली गई कार्यालय रिपोर्ट से साबित है। वैसी भी प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे भूमि की किस्म कृषि के विपरित हो। विक्रय पत्र में लिख देने मात्र से बिना प्राधिकृत अधिकारी के किस्म रूपान्तरण के आदेश के अभाव में कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित होती है। फलस्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 9 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

6. **तनकी नम्बर 6** :– अनुतोष

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। इसलिए वाद–वादीगण स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम गोठडा के खसरा नम्बर 1124 व 1125 रकबा क्रमशः 0.02 व 3.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.52 हैक्टर में वादीगण 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तक है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वाके राजस्व ग्राम गोठडा के खसरा नम्बर 1124 व 1125 रकबा क्रमशः 0.02 व 3.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.52 हैक्टर में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि इस पैरा में वर्णित भूमि में वादीगण के 2/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़, जिला–झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्त.अधि.

मुकदमा संः– 174/2011 **(लाडो देवी आदि – बनाम – प्रभात वगैरह)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर. ए. एस.),सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **25.04.2022** निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वाके राजस्व ग्राम गोठडा के खसरा नम्बर 1124 व 1125 रकबा क्रमशः 0.02 व 3.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.52 हैक्टर में वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि इस पैरा में वर्णित भूमि में वादीगण के 2/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **25.04.2022** को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रैक), नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

दिनांकः –18.05.2022

मांक/रीडर/2021/179

षितः –
तहसीलदार
नवलगढ़

विषयः – उनवानी लाडो देवी बनाम प्रभात आदि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा का प्रकरण 174/2011 उनवानी लाडो देवी बनाम प्रभात आदि में दिनांक 25.04.2022 को निर्णय पारित हो चुका है। उक्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 9 ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 5 (2) व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अपील अवधि तक निर्णय की पालना को स्थगित रखे जाने का निवेदन किया।

अतः वर्णित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्न पत्र प्रेषित कर लेख है कि उनवानी प्रकरण लाडो देवी बनाम प्रभात आदि में पारित निर्णय की क्रियान्वति की जा चुकी है, अथवा नहीं की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यदि उक्त निर्णय की पालना नहीं की गई हो तो अपील अवधि तक निर्णय की पालना को स्थगित रखी जाने के आदेश दिये जाते है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।

(दमंयती कंवर)
सहायक कलक्टर, नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर एव कायपालक मजिस्ट्रेट साहब,

नजलगढ़।

लाडो देवी वगै. बनाम प्रभात वगै.

वाद संख्या - 174/2011

निर्णय दिनांक : 25.04.2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत ऑ 41 रूल 5 (2) व धारा 151 जा॰ दी॰

महोदय,

प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार पेश है:-

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण का निर्णय दिनांक 25.04.2022 को श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

2. यह कि श्रीमान के निर्णय कि अपील की अवधि 60 दिन की है। प्रतिवादी संख्या 9 इसं निर्णय में प्रभावित पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 9 को अपील पेश करने का अधिकार है और वह इस निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ अपील करना चाहता है चूँकि अपील की अवधि 60 दिन की है इन 60 दिन में अगर निर्णय की पालना की जाकर निर्णय की क्रियान्वति हो जाती है तो प्रार्थी की अपील करना ही व्यर्थ हो जायेगा तथा कानून में भी ऑ 41 रूल 5 (2) जा॰ दी॰ में श्रीमान के न्यायालय को डिक्री के निष्पादन [illegible] के लिए आदेश पारित [illegible] रोका जाता है तो किये जाने का प्रावधान है। अगर डिक्री का निष्पादन [illegible] और उसकी मशीने जगह प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 9 को सारवान हानि [illegible] संख्या 9 को बचने के लिए आदि की क्षति होगी इसलिए इस क्षति से प्रतिवादी संख्या 9 को बचने के लिए श्रीमान को अपील की अवधि निर्णय से 60 दिन तक इस डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाई जाने का आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damiyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय की दिनांक 25.04.2022 से 60 दिन तक इस डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाई जाने का आदेश प्रदान करे ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके।

दिनांक: 17-05-2022

For SHREE CEMENT LIMITED
Authorised Signatory

प्रार्थी/ प्रतिवादी संख्या 9
श्री सीमेन्ट जरिये अधिकृत कमल
किशोर शर्मा उर्फ़ के. के. शर्मा
पुत्र श्री जयसीताराम जाती ब्राह्मण
निवासी श्री सीमेन्ट लिमिटेड ब्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:19:11 IST
Reason: SelfAttested